



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक एफ 19/()निमअ/Bck to work/2021-22 45258 जयपुर, दिनांक: 10-1-2023

विज्ञप्ति

जागृति बैक टू वर्क योजनान्तर्गत कुशल, प्रोफेशनल एवं अनुभवी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु जॉब प्रदाताओं व महिलाओं के बीच समन्वय करने वाली संस्था की आवश्यकता है।

संस्था के चयन के लिये पात्रता:-

1. संस्था जो कि सी.एस.आर. गतिविधि के तहत विभाग के साथ जुड़कर महिलाओं को रोजगार, स्किलिंग-अपस्किलिंग से जोड़ने की इच्छुक हो।
2. संस्था जिसको ऑनलाईन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निजी क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने, स्किलिंग-अपस्किलिंग का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।
3. संस्था जो ट्रस्ट/गैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत हो।

अतः ऐसी संस्था जो कि उपरोक्त पात्रताओं की पूर्ति करती हो एवं विभाग के साथ जुड़कर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की इच्छुक हो वे दिनांक 23.01.2023 तक कार्यालय समय में निदेशालय महिला अधिकारिता, जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में अपनी सहमति निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकती है। प्रारूप विभागीय वेब साईट wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त कार्य ऑनलाईन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी। विभाग द्वारा योजना के तहत किये गये कार्यों के लिये संस्था को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

(पुष्पा सत्यानी)
आयुक्त
महिला अधिकारिता